डॉ. (श्रीमती) सरोजनी सक्सेना

धौली-अपीलकर्ता

बनाम

राम निवास-प्रतिवादी

92 का एफएओ नंबर 82 एम

19 मई 1997हिंदू विवाह अधिनियम, 1955—एस. 28—क्रूरता के आधार पर तलाक देने की डिक्री के खिलाफ अपील दायर की गई—अपीलकर्ता के अपील दायर करने से पहले ही पति की मृत्यु हो गई—ऐसी अपील पति की मृत्यु के कारण समाप्त नहीं होती है, जहां ऐसी मृत्यु अपील दायर करने से पहले हो जाती है, अपील लंबित है

अभिनिर्धारित किया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्थी-पति की पत्नी द्वारा यह अपील दायर करने से पहले ही मृत्यु हो गई है, अपील उपशमन करना नहीं होती है क्योंकि यह न केवल एक विधवा/तलाकशुदा के रूप में उसकी स्थिति निर्धारित करती है, बल्कि मृतक-पति की संपत्ति में उसकी सामाजिक स्थिति और स्वामित्व अधिकारों को भी निर्धारित करती है।

(पैरा 8)

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-खंड 13-क्रूरता की निंदा-कथित क्रूरता-खंड 406/498-ए के तहत पति और रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज शिकायत-इसके बाद पंचायत के समक्ष पक्षों के बीच समझौता हुआ-पत्नी की वैवाहिक घर वापसी-माना गया कि पति ने क्रूरता के कथित कृत्यों को माफ कर दिया।

अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-पत्नी ने स्वीकार किया है कि उसने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ धाराओं 406/498-भा.दं.सं. सी के तहत शिकायत दर्ज कराई है., लेकिन न केवल उसने, बल्कि प्रतिवादी-पति ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि उस आपराधिक शिकायत के संबंध में जब पति को पुलिस द्वारा बुलाया गया था, तो एक पंचायत बुलाई गई थी और चार दिनों के भीतर पक्षों के बीच एक समझौता हो गया था।उस समझौते के अनुसरण में, अपीलार्थी-पत्नी अपने वैवाहिक घर गई और वहाँ कुछ महीनों तक रही।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि उसने पहले इस समझौते में प्रवेश करके और पत्नी को उसके घर में पुनर्वासित करके क्रूरता का कोई भी कार्य किया था, तो पति ने क्रूरता के कथित कृत्यों को माफ कर दिया।

(पैरा 21)

यू. डी. गौर, *एस.* शर्मा के साथ *अधिवक्ता, अपीलकर्ता के अधिवक्ता*

प्रतिवादी *के लिए कोई नहीं*

न्याय

डॉ. सरोजनी सक्सेना, जे.

2. यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 28 के तहत पत्नी की अपील है, जो क्रूरता के आधार पर अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रतिवादी-पति के पक्ष में तलाक की डिक्री को चुनौती देती है

3. मामले के कई तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी-पत्नी की शादी 4 अप्रैल, 1982 को तलवंडी बदशपुर गांव में प्रतिवादी-पति से हुई थी।इसके बाद दंपति हिसार में रहने लगे।अपीलकर्ता ने इस विवाह में एक बेटी सरोज को जन्म दिया।अब पार्टियाँ अलग रह रही हैं।

4. प्रतिवादी-पति ने 2 अगस्त, 1989 को तलाक की याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत से ही प्रतिवादी का व्यवहार उसके और उसके माता-पिता के प्रति अच्छा नहीं था।वह झगड़ालू स्वभाव की महिला है और छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ-साथ उसके माता-पिता से भी झगड़ा करती थी।दुरुपयोग व जब भी वह उसे ठीक से व्यवहार करने के लिए कहता था, तो वह उसे आत्महत्या करने के लिए कहती थी और उसे और उसके माता-पिता को इसमें फंसाती थी।वह प्रतिवादी-पति को छोड़ देती थी और अंत में जून 1987 में उसकी अभाव में उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया।तब से उसे वापस लाने के लिए उसके द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है।इस प्रकार, पति ने क्रूरता और त्याग के आधार पर तलाक का दावा किया।

5. अपीलार्थी-पत्नी ने कथित क्रूरता के आरोपों का खंडन किया

।उनके अनुसार, उन्होंने हमेशा एक वफादार और कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन उनके पति और उनके माता-पिता संतुष्ट नहीं थे।वे अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसे चिढ़ाते और ताना मारते थे।उन्होंने उसके माता-पिता से और नकदी और गहने की मांग की।अंततः अप्रैल 1984 में उन्हें5000 रुपये लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने माता-पिता से, जो वह लेकर आई और प्रतिवादी-पति को दे दी।इसके बाद भी प्रतिवादी-पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता था क्योंकि वह अपने पिता से अधिक दहेज नहीं ला सकती थी।कभी-कभी उन्हें भूखे रखा जाता था और वैवाहिक घर में बंद कर दिया जाता था।अगस्त 1984 में उन्हें वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था।उसके पिता ने एक पंचायत बुलाई, लेकिन प्रत्यर्थी-पति अदम्य थे।उनके पिता ने मई 1985 में एक और पंचायत बुलाई।उस समय प्रतिवादी-पति ने टी. वी., फ्रिज, वी. सी. आर. और रु. 10, 000 नकद।तीसरी पंचायत 5 अक्टूबर, 1986 को बुलाई गई थी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा।20 फरवरी, 1987 को, उसने प्रतिवादी-पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ A.C.J.M हिसार की अदालत में धारा 406/498-ए के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी व्यक्तियों को तलब किया गया।26 फरवरी, 1987 को पुलिस स्टेशन में पक्षों के बीच एक समझौता हुआ और उनके आश्वासन पर वह अपने वैवाहिक घर वापस चली गई।थोड़ी देर बाद, उसे फिर से प्रतिवादी पति द्वारा प्रताड़ित किया गया।दिसंबर, 1987 में उसने एक लड़की को जन्म दिया, जिससे प्रतिवादी-पति और क्रोधित हो गया और उसने उक्त बेटी की परवरिश और शादी के लिए एक लाख रुपये की मांग करना शुरू कर दिया।7 जनवरी, 1989 को पिटाई के बाद उन्हें फिर से वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया।उन्होंने खुद की चिकित्सकीय जांच कराई।पुलिस ने प्रतिवादी पति को बुलाया।पंचायत भी बुलाई गई।पति ने आश्वासन दिया कि वह अपीलार्थी-पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा।इसके बाद वह फिर से अपने वैवाहिक घर वापस चली गई, लेकिन पति ने फिर से उसके साथ क्रूरता से व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसे 1,00,000 रुपये लाने के लिए कहा।।उसने उसे एक लाख रुपये दिए लेकिन अंततः 23 जुलाई, 1989 को उन्हें फिर से वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया।तब से वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है।

6. इन दलीलों पर मुद्दे तैयार किए गए थे।पक्षों के साक्ष्य दर्ज किए गए।

7. जहाँ तक त्याग के आधार का संबंध है, वैवाहिक न्यायालय ने प्रत्यर्थी पति के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया।इसने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-पत्नी ने प्रत्यर्थी-पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया।उसके क्रूर कृत्यों के साथ-साथ उसके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने से उसे मानसिक यातना भी मिली।इसलिए इस आधार पर 7 मई, 1992 को तलाक की याचिका को मंजूरी दी गई।

8. 29 मई, 1992 को अपीलार्थी-पत्नी ने यह अपील दायर की, लेकिन उससे पहले 20 मई, 1992 को प्रतिवादी-पति की मृत्यु हो गई।इसलिए, शुरू में पति की माँ द्वारा आपत्ति जताई गई थी, जिसे प्रतिवादी-पति के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था, कि पति की मृत्यु के बाद, पत्नी की अपील रद्द हो गई है।

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 7 मई, 1992 को वैवाहिक न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री दी गई थी, 20 मई, 1992 को पति की मृत्यु हो गई थी, जबकि पत्नी ने 29 मई, *1992 को* यह *अपील दायर* की थी, लेकिन श्रीमती. यल्लावा बनाम श्रीमती। शांतावा (1), सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि याचिका दायर करने वाले पति द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की डिक्री प्राप्त करने के बाद, उसे अपील दायर करने का अधिकार है और ऐसी अपील पति की मृत्यु के कारण उपशमन नहीं होती है जहां ऐसी मृत्यु होती है अपील दायर करने से पहले या अपील लंबित होने तक।इसलिए मैंने पाया कि इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी-पति की पत्नी द्वारा यह अपील दायर करने से पहले ही मृत्यु हो गई है, अपील उपशमन करना नहीं होती है क्योंकि यह न केवल एक विधवा/तलाकशुदा के रूप में उसकी स्थिति निर्धारित करती है, बल्कि मृतक-पति की सामाजिक स्थिति और स्वामित्व अधिकारों को भी निर्धारित करती है।

10. जहाँ तक अपील के गुण-दोष का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि तलाक याचिका में केवल अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं कि वह झगड़ालू प्रकृति की महिला है।दुरुपयोगअपने अपमानजनक कार्य से, उसने प्रतिवादी-हुस्बानक्ल के साथ मानसिक क्रूरता की।उसने आत्महत्या करने की धमकी भी दी।इस याचिका में विशिष्ट उदाहरणों का अनुरोध नहीं किया गया है जब उसने अपने पति या उसके रिश्तेदारों के साथ दुर्व्यवहार या अपमान किया या कैसे उसने पत्नी के हाथों मानसिक क्रूरता का सामना किया।यहां तक कि आत्महत्या करने की कथित धमकी की तारीख, महीना आदि भी नहीं दी जाती है।

11.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी-पति ने अपनी माँ एस. आई. 1न्ती पी. डब्ल्यू.-1, हनुमान पी. डब्ल्यू.-2 और खुद को पी. डब्ल्यू.-3 के रूप में जांचा।शांति पीडब्लू-1 हेक्टेयर?केवल इतना कहा कि अपीलार्थी-पत्नी एक झगड़ालू महिला है; वह उन्हें धमकी देती थी *कि* वह आत्महत्या कर लेगी और उन्हें मुसीबत में डाल देगी; वह अपने पति के साथ-साथ सास का भी अपमान करती थी; जब भी कोई व्यक्ति उनके घर जाता था और उसका बेटा उसे (पत्नी) चाय बनाने के लिए कहता था, तो वह उसे बनाने से इनकार कर देती थी और उसका अपमान करती थी।यहां तक कि शांति पीडब्लू-1 **ने भी दुर्व्यवहार या क्रूर** व्यवहार के विशिष्ट उदाहरण नहीं दिए हैं।हनुमान पीडब्लू-1 ने गवाही दी है कि 1.एयर 1997 एससी 35 टी

एक बार वह प्रतिवादी-पति के घर गया; प्रतिवादी ने उसे अपने लिए एक गिलास पानी लाने के लिए कहा, लेकिन अपीलार्थी-पत्नी ने मना कर दिया।उसने न केवल अपने पति को फटकार लगाई, बल्कि उसे गंदी भाषा में गाली भी दी।उसने अपीलार्थी-पत्नी को शांत करने की कोशिश की और उसे उचित तरीके से समझने और व्यवहार करने के लिए कहा।हनुमान ने यह भी कहा कि सात दिनों के बाद वह फिर से प्रतिवादी के घर गए।उस समय प्रतिवादी-पति की

माँ ने अपीलार्थी-पत्नी को हनुमान के लिए चाय तैयार करने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया और वही शब्द दोहराए जो उसने पहले के अवसरों पर इस्तेमाल किए थे।

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इस गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि वह केवल दो बार प्रतिवादी-पति के घर गया था।वह पति-प्रतिवादी की माँ का नाम नहीं जानता है।उसे यह भी नहीं पता कि पति के कितने भाई-बहन हैं या उसके घर में कितने कमरे हैं।उन्होंने तर्क दिया कि इन उत्तरों से यह स्पष्ट है कि हनुमान एक गवाह हैं।वह कभी भी प्रतिवादी-पति के घर नहीं गया, अन्यथा उसे इन सभी तथ्यों का पता चल जाता।

13. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जहां तक क्रूरता की याचिका का संबंध है, प्रतिवादी पति का बयान भी अविश्वसनीय और अविश्वसनीय है।उसने केवल इतना कहा है कि उसके और उसके माता-पिता के प्रति उसका व्यवहार अशिष्ट था; वह झगड़ालू स्वभाव की महिला है; जब भी उसके दोस्त उससे मिलने आते थे और वह उसे चाय बनाने के लिए कहता था, तो वह हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की नज़रों में उसे नीचा दिखाती थी।उसने आत्महत्या करने और उन सभी को आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी भी दी।इस प्रकार, वह उसे मानसिक यातना देती थी।उसने यह भी कहा कि उसने पुलिस के सामने झूठी शिकायत की और जून 1987 में उसका घर छोड़ दिया।

14. विद्वान वकील ने पति के बयान की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादी-पति ने यह नहीं कहा है कि जब हनुमान दो बार उनके घर गए थे और उन्होंने उन्हें चाय बनाने या हनुमान को पानी देने के लिए कहा था, तो उन्होंने न केवल मना कर दिया, बल्कि उन्हें गाली दी और उनका अपमान किया।उन्होंने हनुमान का नाम बिल्कुल नहीं रखा है।विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि जिरह में प्रतिवादी के पति ने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 406/498-A के तहत शिकायत दर्ज करने के बाद। भा.दं.सं. सी. 23 फरवरी, 1987 को पक्षों के बीच 26 फरवरी, 1987 को एक समझौता हुआ और उस समझौते के बाद अपीलकर्ता-पत्नी 3-4 महीने तक वैवाहिक घर में रही।कुछ समय के लिए वह फिर से अपने माता-पिता के घर गई और फिर से वह प्रतिवादी के साथ रहने के लिए वापस आ गई -

वैवाहिक घर में पति।इस प्रकार, उनके अनुसार, यदि इस समझौते से पहले अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा क्रूरता का कोई भी कार्य किया गया था, तो इस समझौते में प्रवेश करके और अपीलकर्ता को वैवाहिक गृह में पुनर्स्थापित करके, प्रतिवादी-पति ने क्रूरता के कथित कृत्यों को माफ कर दिया है।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वैवाहिक न्यायालय मामले के इस पहलू पर विचार करने में पूरी तरह विफल रहा है।

15. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि क्रॉससेक्सैमिनेशन में भी अपीलकर्ता-पत्नी से विशेष रूप से यह नहीं पूछा गया था कि जब हनुमान अपने पति के स्थान पर गए थे, तो उन्होंने हनुमान को चाय बनाने/एक गिलास पानी देने से इनकार कर दिया था।उससे केवल यह पूछा जाता है कि उसने हनुमान की उपस्थिति में अपने पति और सास के साथ दुर्व्यवहार किया।

16. प्रत्यर्थी-पति की ओर से कोई भी अदालत की सहायता के लिए उपस्थित नहीं हुआ।

17. मेरे सुविचारित विचार में, अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।क्रूरता के कथित कार्य वैवाहिक जीवन के दैनिक पतन के कार्य हैं।

18. प्रतिवादी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी की ओर से क्रूरता के केवल तीन विशिष्ट उदाहरणों/कृत्यों को साबित करने की कोशिश की **है।हनुमान** पीडब्लू-2 की जाँच करके उसने यह साबित करने की कोशिश की है कि दो बार जब वह अपने घर आया तो उसने/उसकी माँ ने अपीलार्थी-पत्नी को चाय बनाने/हनुमान को एक गिलास पानी देने के लिए कहा, इन दोनों अवसरों पर उसने न केवल पति/सास के आदेशों का पालन करना से इनकार कर दिया, बल्कि उन्हें फटकार लगाई और उनका अपमान किया।सबूत का एक और टुकड़ा यह है कि उसने आत्महत्या करने और अपने सभी ससुराल वालों को एक आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी।क्रूरता का अंतिम कथित कार्य यह है कि उसने उसके और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भा.दं.सं. की खंड 406/498-ए के तहत शिकायत दर्ज कराई।

19. पत्नी जीवन की एक सम्मानित साथी होती है।उसे नौकरानी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।यदि एक या दो बार उसने किसी आने वाले अतिथि को चाय बनाने या पानी देने से इनकार कर दिया, हालांकि ये कथित कृत्य विश्वसनीय सबूतों से साबित नहीं होते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपने पति या उसकी माँ के साथ क्रूरता से व्यवहार किया है।किसी विशेष अवसर पर एक पत्नी के लिए चाय न बनाने या किसी आगंतुक को एक गिलास पानी न देने के कई कारण हो सकते हैं।

20. यहाँ तक कि पति-प्रतिवादी ने भी अदालत में शपथ लेते हुए ऐसा नहीं कहा है।पत्नी ने इन आरोपों का खंडन किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि वह हनुमान को जानती भी नहीं है।हनुमान के बयान की पुष्टि करने के लिए अब तक कोई अन्य सबूत नहीं है।

जैसा कि इन कथित क्रूर कृत्यों का संबंध है।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने ठीक ही बताया है कि चूंकि यह गवाह * नहीं जानता कि प्रतिवादी-पति के घर में कितने कमरे हैं, उसके कितने भाई-बहन हैं, और उसकी माँ का नाम क्या है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक गवाह है और वह कभी भी प्रतिवादी-पति के घर नहीं गया।

21.तलाक याचिका के साथ-साथ स्वयं पीडब्लू-1 शांति देवी और पीडब्लू-3 प्रतिवादी के बयानों में एक अस्पष्ट आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी-पत्नी ने उन्हें आत्महत्या करने और उन सभी को आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी थी।इन गवाहों द्वारा कोई विशिष्ट तिथि, महीना आदि का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी-पत्नी द्वारा ऐसी धमकी कब दी गई थी।इस तरह के अस्पष्ट आरोप कोई भी पति अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसी किसी भी याचिका में लगा सकता है जब वह इस आधार पर तलाक का दावा कर रहा हो।अगर यह सच होता कि उसने ऐसी धमकी दी थी या पति को वास्तव में लगता कि वह

मौखिक धमकी के अनुसार काम कर सकती है, तो वह पुलिस के पास जाता और उनसे कुछ सहायता मांगता, लेकिन उसने कभी भी उस कार्रवाई को नहीं अपनाया।यह केवल इंगित करता है कि कथित मौखिक धमकी का आरोप कुछ और नहीं बल्कि क्रूरता के आधार पर तलाक लेने के लिए एक इंजीनियर याचिका है।

22.अपीलार्थी-पत्नी ने स्वीकार किया है कि उसने अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की धारा 406/498-ए के तहत शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन न केवल उसने, बल्कि प्रतिवादी-पति ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि उस आपराधिक शिकायत के संबंध में जब पति को पुलिस द्वारा बुलाया गया था, तो एक पंचायत बुलाई गई थी और चार दिनों के भीतर पक्षों के बीच एक समझौता हो गया था।उस समझौते के अनुसरण में, अपीलार्थी-पत्नी अपने वैवाहिक घर गई और वहाँ कुछ महीनों तक रही।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि उसने पहले इस समझौते में प्रवेश करके और पत्नी को उसके घर में पुनर्वासित करके क्रूरता का कोई भी कार्य किया था, तो पति ने क्रूरता के कथित कृत्यों को माफ कर दिया।

23.इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-पति क्रूरता का आधार साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है।दंपति के बीच मामूली विवाद उत्पन्न होते हैं।लेकिन अगर एक पति या पत्नी का व्यवहार इतना क्रूर है कि दूसरे पति या पत्नी के लिए वैवाहिक घर में पहले पति या पत्नी के साथ सद्भाव से रहना असंभव हो जाता है, तो केवल यह कहा जा सकता है कि पहले पति या पत्नी ने क्रूरता के साथ काम किया है और केवल उसी आधार पर, पति या पत्नी को तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार है।इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि क्रूरता के कमजोर और काल्पनिक आधारों पर प्रतिवादी-पति द्वारा तलाक की मांग की गई थी

और विद्वत भौतिक न्यायालय ने केवल प्रतिवादी और उसके गवाहों की गवाही पर भरोसा करते हुए उस आधार पर तलाक की डिक्री दी है।

24. क्रूरता के कथित कृत्यों के ये छोटे-छोटे कांटे आवश्यक सहवर्ती हैं, जो विवाहित जीवन के खिलते गुलाब का हिस्सा हैं और उन्हें भुगतना/जन्म लेना पड़ता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये छोटी पिन-चुभन पीड़ित जीवनसाथी को थोड़ी असुविधा/बेचैनी पैदा कर सकती हैं, लेकिन वे वैवाहिक जीवन के विशाल सभी व्यापक चंदवा को फाड़ने में असमर्थ हैं।

25. विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी-पति पलायन का आधार साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।यह भी प्रमाण में आया है कि अपीलार्थी-पत्नी ने अपने माता-पिता के घर में एक कन्या को जन्म दिया था।रिकॉर्ड पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस महिला के जन्म के बाद, प्रतिवादी-पति उसके माता-पिता के घर गया या बच्चे के रखरखाव के लिए कोई पैसा भेजा।अपीलार्थी-पत्नी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे तीन बार वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था।वहाँ पहले दो मौकों पर उनके बीच हुए समझौते के अनुसरण में, उनके पति ने उनका पुनर्वास किया।23 जुलाई, 1989 को उन्हें फिर से वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया।तब से वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है।उसने यह भी साबित कर दिया है कि पति और उसकी माँ को उसकी शादी में दिए गए दहेज से वंचित नहीं किया गया था।वे हमेशा इस बात से नाराज़ रहते थे कि वह अपर्याप्त दहेज लेकर आई थी।वे पैसे और अन्य दहेज की वस्तुओं की मांग करते थे।उन्होंने और उनके पिता ने शपथ ली है कि एक बार रु। 5000 और एक अन्य अवसर पर रु। प्रतिवादी-पति को 10,000 दिए गए।इन तथ्यों से पत्नी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि पति और उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया था।

26. यहां तक कि प्रत्यर्थी-पति के बयान से भी यह स्पष्ट है कि सुलह के बाद दो बार अपीलार्थी-पत्नी को वैवाहिक गृह में लाया गया था।प्रत्यर्थी-पति की यह स्वीकृति पत्नी की गवाही की पुष्टि करती है कि उसे वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया था और पंचायत के हस्तक्षेप पर समझौता किया गया था और उसे वैवाहिक घर में वापस लाया गया था।यदि पति पत्नी के साथ समझौता करता है, उसे अपने घर में पुनर्वासित करता है, तो जब तक कि पत्नी के लिए वैवाहिक छत छोड़ने का कोई विशेष कारण नहीं था, जिसे पति पूरी तरह से साबित करने में विफल रहा है, यह स्पष्ट है कि जब उसके साथ फिर से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उसे वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया, तो उसे वैवाहिक छत छोड़नी पड़ी।अधिनियम की खंड 23 (एल) (ए) के तहत पति

अपनी गलतियों का लाभ नहीं उठा सकते हैं और ऐसे आधारों पर तलाक की डिक्री का दावा नहीं कर सकते हैं।

27. मान लीजिए, अपीलार्थी-पत्नी ने प्रतिवादी-पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 406/498-ए के तहत शिकायत दर्ज कराई है, जो अभी तक तय नहीं हुई है।इसलिए, वर्तमान समय में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने पति के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है और इस प्रकार उसे मानसिक यातना दी है।यह भी एक तथ्य है कि इस शिकायत के बाद, पंचायत के हस्तक्षेप पर प्रतिवादी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी के साथ समझौता किया और उसे अपने घर वापस ले आया।

28. मेरे सुविचारित विचार में, निचला न्यायालय साक्ष्य की बारीकी से जांच करने और जहां तक मुद्दा संख्या 1 पर निर्णय का संबंध है, सही निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से विफल रहा है।उस पर दर्ज निष्कर्ष को इसके द्वारा अलग रखा जाता है।

29. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है।तलाक की विवादित डिक्री को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)